"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 200] **नवा रायपुर,** शुक्रवार, **दिनांक 24 अप्रैल 2026 —** वैशाख **4, शक 1948**

श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 24 अप्रैल 2026

अधिसूचना

क्रमांक GENCOR-35/1736/2026-LABOUR :- यतः, पहचान स्थापित करने के लिए आधार संख्या का उपयोग, व्यक्तियों को सुविधाजनक और निर्बाध तरीके से सब्सिडी, लाभ और सेवाएं प्राप्त करने में सक्षम बनाता है, पहचान स्थापित करने हेतु अनेक प्रकार के दस्तावेजों की आवश्यकता को समाप्त करता है, प्रक्रियाओं को सरल बनाता है तथा पारदर्शिता एवं दक्षता को बढ़ावा देता है;

और यतः, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार ने, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) से परामर्श उपरांत, अपने पत्र **क्र. eF.No. 13 (11)/2023-EG-II, दिनांक 22.04.2026** द्वारा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल (सीजीबीओसीडब्ल्यू) (जो इसमें इसके पश्चात् उक्त मंत्रालय अथवा उक्त विभाग अथवा उक्त अभिकरण के रूप में निर्दिष्ट है) को आधार प्रमाणीकरण सुशासन (सामाजिक कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियम, 2020 (जो इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम के रूप में निर्दिष्ट है) के नियम 3 के उप–नियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रयाजनों हेतु, यह अनुमति प्रदान की है कि उक्त शासन/मंत्रालय/विभाग/अभिकरण आधार संख्या धारक की पहचान स्थापित करने के लिए प्रमाणीकरण कर सके तथा प्रमाणीकरण के दौरान आधार संख्या के उपयोग और उक्त नियमों के नियम 5 सहपठित आधार (वित्तीय एवं अन्य अनुदान, लाभ और सेवाओं की लक्षित आपूर्ति) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जो इसमें इसके पश्चात् अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 4 की उप–धारा (4) के खंड (ख) के उप–खंड (दो) के अधीन अधिसूचित किया जा सके;

और यतः, इस अधिसूचना के परिशिष्ट में विनिर्दिष्ट छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, छत्तीसगढ़ शासन की योजना/योजनाओं के अंतर्गत क्रियान्वयन, हितग्राही पंजीयन, पहचान सत्यापन, अभिलेखों के डी–डुप्लीकेशन (दोहरेपन हटाने) के उद्देश्य से, आधार प्रमाणीकरण किया जाएगा (जो इसमें इसके पश्चात् उक्त प्रयोजन के रूप में निर्दिष्ट है) जैसा कि उक्त नियमों के नियम 3 के उप–नियम (1) के अधीन यथा विहित तथा आधार प्रमाणीकरण पूर्णतः स्वैच्छिक आधार पर किया जाएगा और उक्त छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा आधार प्रमाणीकरण केवल हितग्राही की पहचान, लाभ स्वीकृति से पूर्व प्रमाणीकरण, अभिलेखों के दोहराव को

रोकना परिशिष्ट में सूचीबद्ध योजनाओं के अंतर्गत किया जाएगा (जो इसमें इसके पश्चात् उपयोग प्रकरण के रूप में निर्दिष्ट है);

अतएव, अधिनियम की धारा 4 की उप–धारा (4) के खंड (ख) के उप–खंड (दो) सहपठित उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसरण में, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, एतद्द्वारा, निम्नलिखित अधिसूचित करता है, अर्थात्ः–

1. (1) छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, अधिनियम में प्रदत्त प्रावधानों के अनुसार, यहाँ प्रमाणीकरण के उद्देश्यों हेतु आधार संख्या धारक की सहमति प्राप्त करेगा।

(2) उक्त नियमों के नियम 3 के उप–नियम (2) के अनुसार, आधार प्रमाणीकरण स्वैच्छिक होगा, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण आधार संख्या धारक को पहचान के वैकल्पिक और व्यवहार्य साधनों की सूचना देगा तथा आधार प्रमाणीकरण कराने से इंकार करने अथवा असमर्थ होने के कारण आधार संख्या धारक को किसी भी प्रकार की सेवा से वंचित नहीं करेगा, अर्थात्ः–

(क) पैन कार्ड;

(ख) पासपोर्ट;

(ग) छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी कोई अन्य पहचान पत्र।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विपुल कुमार गुप्ता, उप–सचिव.

परिशिष्ट

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल की वर्तमान योजनाएं

स.क्र.	योजना का नाम
1.	मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना
2.	मिनीमाता महतारी जतन योजना
3.	मुख्यमंत्री नौनिहाल छात्रवृत्ति योजना
4.	मुख्यमंत्री नोनी बाबू मेधावी शिक्षा प्रोत्साहन योजना
5.	योजना निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु उत्कृष्ट खेल प्रोत्साहन योजना
6.	मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना
7.	विशेष शिक्षा सहायता योजना
8.	मुख्यमंत्री सायकल सहायता योजना
9.	मुख्यमंत्री सिलाई मशीन सहायता योजना
10.	मुख्यमंत्री श्रमिक औजार सहायता योजना
11.	मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर सुरक्षा उपकरण सहायता योजना
12.	मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर कौशल विकास एवं परिवार सशक्तिकरण योजना
13.	बंधक निर्माण मजदूर पुनर्वास सहायता योजना
14.	सिलिकोसिस (बीमारी) से पीड़ित निर्माण श्रमिकों के लिये आर्थिक सहायता एवं पुनर्वास सहायता योजना
15.	दीदी ई–रिक्शा सहायता योजना
16.	मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक दीर्घायु सहायता योजना
17.	मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना
18.	मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निःशुल्क कोचिंग सहायता योजना
19.	मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना
20.	मुख्यमंत्री आधारभूत शिक्षा प्रशिक्षण सहायता योजना
21.	मुख्यमंत्री निर्माण मजदूर मंथली सीजन टिकट कार्ड योजना
22.	मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना
23.	अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना
24.	शहीद वीरनारायण सिंह श्रम अन्न योजना
25.	प्रधानमंत्री उज्जवला योजना
26.	मोबाईल रजिस्ट्रेशन वेन योजना
27.	मुख्यमंत्री श्रमिक सहायता केन्द्र योजना
28.	मुख्यमंत्री श्रम संसाधन केन्द्र योजना
29.	निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु निःशुल्क गणवेश एवं पुस्तक कॉपी हेतु सहायता राशि योजना
30.	मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक निःशुल्क कार्ड योजना
31.	श्रम मित्र योजना

Nava Raipur Atal Nagar, the 24th April 2026

NOTIFICATION

File No. GENCOR-35/1736/2026-LABOUR: - Whereas the use of Aadhaar number to establish identity enables individuals to receive subsidies, benefits and services in a convenient and seamless manner, obviates the need for multiplicity of documents to establish identity, simplifies processes and promotes transparency and efficiency:

And whereas the Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India, after consultation with the Unique Identification Authority of India (UIDAI), had allowed vide its letter no.- **eF.No. 13 (11)/2023-EG-II, Dated 22-04-2026** to the Chhattisgarh Building and Other construction Worker's Welfare Board (CGBOCW) (hereinafter referred to as the said Ministry or the said department or the said Agency), Government of Chhattisgarh (hereinafter referred to as the said Government) for the purposes prescribed under sub-rule (1) of rule 3 of the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020 (hereinafter referred to as the said rules) that the said Government/Ministry/ Department/Agency may be allowed to perform authentication and be permitted the use of Aadhaar number during authentication for establishing identity of Aadhaar number holder and notify the same under rule 5 of the said rules read with sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of Section 4 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (No. 18 of 2016) (hereinafter referred to as the Act):

And whereas, the Aadhaar authentication shall be performed for implementation, beneficiary registration, identity verification, de-duplication of records under the Scheme(s) of the Chhattisgarh Building and Other construction Worker's Welfare Board, Government of Chhattisgarh as specified in Annexure to this notification (hereinafter referred to as the said purpose) as prescribed under sub-rule (1) of rule 3 of the said rules and the performance of Aadhaar authentication for the said purpose shall be on voluntary basis and that the said Chhattisgarh Building and Other construction Worker's Welfare Board shall perform the Aadhaar authentication only for beneficiary identification, authentication prior to sanction of benefits, prevention of duplication under the Scheme(s) listed in Annexure [hereinafter referred to as the use case(s)].

Now, therefore, in pursuance of rule 5 of the said rules read with sub-clause (ii) of clause (b) of sub-section (4) of Section 4 of the Act, the said Chhattisgarh Building and Other construction Worker's Welfare Board hereby notifies the following, namely: —

1. (1) The Chhattisgarh Building and Other construction Worker's Welfare Board, as provided in the Act, shall obtain the consent of the Aadhaar number holder for the purpose of authentication herein.

   (2) In accordance with sub-rule (2) of rule 3 of the said rules, Aadhaar authentication shall be on voluntary basis. The Chhattisgarh Building and Other construction Worker's Welfare Board shall inform to the Aadhaar number holder of alternate and viable means of identification and shall not deny any service to the Aadhaar number holder for refusing to, or being unable to, undergo Aadhaar authentication, namely: —

   (a) Pan card

   (b) Passport

   (c) Any other Identity Card Issued by Government of Chhattisgarh

2. This notification shall be effective from the date of its publication in the Official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
VIPUL KUMAR GUPTA, Deputy Secretary.

ANNEXTURE
ON GOING SCHEMES OF CHHATTISGARH BUILDING AND OTHER CONSTRUCTION WORKER'S WELFARE BOARD

S No.	Scheme Name
1	Mukhyamantri Shramik Siyan Sahayata Yojana
2	Minimata Mahtari Jatan Yojana
3	Mukhyamantri Naunihal Chhatravritti Yojana
4	Mukhyamantri Noni Babu Medhavi Shiksha Protsahan Yojana
5	Nirman Shramikon ke Bachchon Hetu Utkrisht Khel Protsahan Yojana
6	Mukhyamantri Noni Sashaktikaran Sahayata Yojana
7	Vishesh Shiksha Sahayata Yojana
8	Mukhyamantri Cycle Sahayata Yojana
9	Mukhyamantri Silai Machine Sahayata Yojana
10	Mukhyamantri Shramik Aujar Sahayata Yojana
11	Mukhyamantri Nirman Majdoor Suraksha Upkaran Sahayata Yojana
12	Mukhyamantri Nirman Majdoor Kaushal Vikas evam Parivar Sashaktikaran Yojana
13	Bandhak Nirman Mazdur Punarvas Sahayata Yojna
14	Silicosis se Peedit Nirman Shramikon ke Liye Aarthik Sahayata evam Punarvaas Sahayata Yojana
15	Didi E-Rickshaw Sahayata Yojana
16	Mukhyamantri Nirman Shramik Dirghayu Sahayata Yojana
17	Mukhyamantri Nirman Shramik Mrityu evam Divyang Sahayata Yojana
18	Mukhyamantri Nirman Shramikon ke Bachchon Hetu Nihshulk Coaching Sahayata Yojana
19	Mukhyamantri Nirman Shramik Awas Sahayata Yojana
20	Mukhyamantri Adharbhoot Shiksha Prashikshan Sahayata Yojna
21	Mukhyamantri Nirman Majdoor Manthali Sijan Ticket Card Yojna
22	Mukhyamantri Nirman Shramik Pension Sahayata Yojana
23	Atal Utkrisht Shiksha Yojana
24	Shaheed Veernarayan Singh Shram Ann Yojana
25	Pradhan Mantri Ujjwala Yojana
26	Mobile Registration Van Yojana
27	Mukhyamantri Shramik Sahayata Kendra Yojana
28	Mukhyamantri Shram Sansadhan Kendra Yojana
29	Nirman Shramikon ke Bachchon Hetu Nishulk Ganvesh evam Pustak Copy Hetu Sahayata Rashi Yojana
30	Mukhyamantri Nirman Shramik Nishulk Card Yojana
31	Shram Mitra Yojna

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2026.